कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-21.08.2024

विषयः- टास्क/इनवेस्टमेंट कराने के नाम पर लोगो के साथ लाखों की साइबर धोखाधडी करने वाले गैंग के सरगना सहित 07 अन्तर्राज्यीय साइबर अपराधी गिरफ्तार भारी मात्रा मे एटीएमकार्ड, सिमकार्ड, नकदी व अन्य सामाग्री बरामद।

वादिनी मुकदमा संभावना त्रिपाठी निवासी अस्सीघाट वाराणसी द्वारा दिनाक 18.12.2023 को साइबर क्राइम थाना कमि0 वाराणसी पर इस आषय से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके साथ साइबर अपराधियों द्वारा कार बुकिंग का टास्क पूरा करने के नाम पर विभिन्न टेलीग्राम ग्रुपों तथा वेबसाइट के माध्यम से अपने झांसे मे लेकर कुल 39,15,816/- रूपये की साइबर ठगी कर ली गयी है जिसपर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 30/2023 धारा 420 भादवि व 66 आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रचलित है।

उक्त प्रकरण के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल व पुलिस उपायुक्त अपराध श्री चन्द्रकान्त मीना द्वारा के निर्देशन मे तथा अपर पुलिस उपायुक्त श्री सरवणन टी एवं सहायक पुलिस आयुक्त श्री गौरव कुमार के नेतृत्व मे उक्त प्रकरण मे संलिप्त साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त की घटना मे प्रयुक्त वेबसाइट, टेलीग्राम खातों मोबाइल नम्बरों तथा बैंक खातों के गहन विष्लेषण तथा इलेक्ट्रानिक सर्विलांस व डिजिटल फूटप्रिंट आदि के आधार पर इन्दौर मध्य प्रदेश से उक्त गैंग के सरगना सहित 07 अन्तर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से भारी मात्रा मे एटीएम, चेकबुक, पासबुक, इन्टरनेट बैंकिग स्लिप, फर्जी कूटरचित आधारकार्ड, पैनकार्ड, सिमकार्ड तथा नकदी बरामद की गयी है।

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तगण द्वारा ब्राण्डेड कम्पनियों के ओरिजिनल बेवसाइट से मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बनायी जाती है उसके बाद बल्क एस0एम0एस0 फीचर का प्रयोंग करते हुए एक साथ हजारो लोगो को पार्ट टाइम जाब/इनवेस्टमेट आदि मे अच्छा लाभ कमाने का प्रलोभन दिया जाता है जब कोई व्यक्ति इनके झांसे मे आता है तो यह उसको छोटी छोटी धनराशि उसके खातों मे क्रेडिट कर बडा धन कमाने का लालच दे देते है इसके बाद यह लोग लोगो को इनके बनाये गये वेबसाइट तथा टेलीग्राम ग्रुप मे जोडते है जहा पर इनके ही सिन्डीकेट्स के द्वारा बडी धनराशि

का स्क्रीनशाट भेजा जाता है जिससे लोग लालच मे आकर पूर्णतः इनके झांसे मे आ जाते है इसके बाद इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट से सम्बन्धित तमाम प्लान बताते हुए तथाकथित कम्पनी के बैंक खातों मे पैसे डलवा लिए जाते है। यह पैसा उस कम्पनी के फर्जी बेबसाइट पर यूजर के एकाउन्ट मे दिखता है तथा इनवेस्टमेंट का लाभ भी दुगुना तिगुना दिखता है जिससे लोग और भी विश्वास मे आकर बडी रकम इन्वेस्ट करते जाते है बाद मे जब लोग अपना पैसा निकालना चाहते है तो पैसा निकलता ही नही है क्योंकि यह पैसा साइबर अपराधियों द्वारा लोगो केा अपने झांसे मे लेने के लिए फ्लैश एमाउन्ट दिखाया जाता है जोकि वास्तव मे होता ही नही है। उक्त सारा कृत्य इन साइबर अपराधियों द्वारा वर्चुअल मशीन के माध्यम से विदेशो के आई0पी0 एड्रेस जैसे चाइना, सिंगापुर, थाईलैण्ड, कम्बोडिया व दुबई आदि द्वारा किया जाता है जिससे इनकी पहचान छुपी रहे और पुलिस की पहुॅच से दूर रहे। इस प्रकार प्राप्त सभी पैसों को इनके द्वारा ए0पी0आई0/कार्पोरेट बैंकिग मे बल्क ट्रान्सफर के माध्यम से सेकेण्ड के अन्दर ही फर्जी गेंमिग एप के हजारो यूजरो के बैक खातों व अपने अन्य सिन्डीकेट के खातो मे भेज दिया जाता है तथा विभिन्न माध्यमों से निकलवा लिया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. जितेन्द्र अहीरवार पुत्र राम प्रसाद अहीरवार निवासी कडिया थाना राघोगढ जनपद गुना मध्य प्रदेश
2. कमलेश किरार पुत्र छन्नूलाल किरार निवासी वार्ड नम्बर 18 भार्गव कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गुना मध्य प्रदेश
3. रामलखन मीना पुत्र इमरत लाल निवासी आनन्दपुर मवैया थाना राघोगढ जनपद गुना मध्य प्रदेश
4. संजय मीना पुत्र रामसिंह मीना निवासी आनन्दपुर मवैया थाना राघोगढ जनपद गुना मध्य प्रदेश
5. अमोल सिंह पुत्र नेनकराम मीना निवासी मोहम्मदपुर थाना मृगवास जनपद गुना मध्य प्रदेश
6. सोनू शर्मा पुत्र बनवारी शर्मा निवासी महूखान थाना कैंट जनपद गुना मध्य प्रदेश
7. निक्की जाट पुत्र सरजीत सिंह निवासी जोलन थाना ईषागढ जनपद अषोकनगर मध्य प्रदेश

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 030/2023 धारा 420 भादवि व 66 आई0टी0 एक्ट (बढोतरी धारा 120बी, 411, 467, 468, 471 भादवि व 66सी0, 66डी0 आई0टी0 एक्ट) थाना साइबर क्राइम कमि0 वाराणसी उत्तर प्रदेश।

बरामदगी का विवरण-

फर्जी मुहर-	03 अदद।
फिगरप्रिंट स्कैनर-	01 अदद।
विभिन्न बैंको के एटीएम कार्ड-	48 अदद।
चेकबुक-	07 अदद।
पासबुक-	02 अदद।
एटीएम किट-	18 अदद।
इन्टरनेट बैंकिग स्लिप-	03 अदद।
फर्जी सिंम कार्ड-	33 अदद।

कूटरचित आधारकार्ड- 04 अदद।
फर्जी पैनकार्ड- 03 अदद।
क्यूआर कोड- 02 अदद।
मेबाइल फोन मय सिंमकार्ड- 14 अदद।
वाहन होन्डा अमेज- 01 अदद।
नकद धनराशि - 14600/- रू0।

गिरफ्तारी/ सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट वाराणसी	
1- प्रभारी निरीक्षक विजय नारायण मिश्र	12- हे0का रविकान्त जायसवाल
2- नि0 राज किशोर पाण्डेय	13- हे0का0 गौतम कुमार
3- नि0 राकेश कुमार गौतम	14- का0 चन्द्रशेखर यादव
4- नि0 अनीता सिंह	15- का0 देवेन्द्र यादव
5- उ0नि0 सतीश सिंह	16- का0 पृथ्वीराज सिंह
6- उ0नि0 नीलम सिंह	17- का0 दिलीप कुमार
7- हे0का0/क0आ0 श्याम लाल गुप्ता	18- का0 सूर्यभान सिंह
8- हे0का0 आलोक कुमार सिंह	19- का0 अनिल मौर्या
9- हे0का0 प्रभात द्विवेदी	20- का0 अवनीश सिंह
10- हे0का0 राजेन्द्र पाण्डेय	21- का0 अंकित प्रजापति
11- हे0का0 गोपाल चैहान	22- का0 ड्रा0 विजय कुमार

नोटः- उक्त गिरफ्तारी मे सर्विलांस सेल का विशेष सहयोग रहा है।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, अपराध
कमिश्नरेट वाराणसी।